

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, प्लॉट नं० 2ए/आई एन एस-2, अवध विहार योजना, अमर शहीद पथ,
लखनऊ (उ०प्र०)-226002, सम्पर्क सं० -0522-2205100

संदर्भ: PGCIL/A/E/23/00048

दिनांक : 23.10.2023

प्रार्थी का नाम: श्री अशोक कुमार
220/132 के वी सब-स्टेशन,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
चंडक, पिथौरागढ़, उत्तराखंड
मो० 8299 500 936

अपील पत्र दिनांक: 29.09.2023

लोक प्राधिकारी: पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, लखनऊ

उपस्थित: उत्तरदायी
श्री एस०के० गुप्ता
वरि० महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम. एवं अभियांत्रिकी) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.-3
पावरग्रिड, लखनऊ


आदेश

अपीलीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, पावरग्रिड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार से ऑनलाइन पत्र दिनांक 29.09.2023 द्वारा अपील प्राप्त की गयी है जो कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी से अपने आवेदन क्रमांक PGCIL/R/E/23/00307 दिनांक 25.08.2023 में मांगी गयी सूचना के निमित्त है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2023 के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा की गई एवं सी०पी०आई०ओ० के विचार को सुना गया है।

समीक्षा में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सी.पी.आई.ओ. के पत्र दिनांक 08.09.2021 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

अतः अपील को खारिज किया जाता है।



[श्री नवीन श्रीवास्तव]
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ – 226001, उ. प्र.

प्रतिलिपि: श्री एस०के० गुप्ता, वरि० महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम. एवं अभियांत्रिकी) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ.,
उ.क्षे.-3, लखनऊ